तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 32/2020 अनवान चैनाराम बनाम नवलाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

24/12/20

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 05, 12 से 18 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील अप्रार्थी संख्या 05, 12 से 18 द्वारा प्रस्तुत जवाब सामिल मिसल हो।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 779/145 रकबा 28.00 बीघा, खसरा संख्या 790/145 रकबा 43.13 बीघा कुल रकबा 71.13 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है था अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 05, 12 से 18 का कथन है कि खसरा संख्या 339 की भूमि प्रार्थी चैनाराम की विप्रार्थी से उतर दिशा की तरफ सेढा आया हुआ है, जिस पर पुरानी माठ बनी हुई है, जिसे तोड़ कर चिन्ह गायब करने पर प्रार्थीगण उतारू है। इसलिए प्रार्थीगण की नेखमबन्दी करने के साथ–साथ अप्रार्थीगण के खेतों की भी नेखमबन्दी की जावें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने हेतु स्वतंत्र है। यदि वे अपने खेत की नेखमबन्दी करवाना चाहते है तो नियमानुसार प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर सकते है। इस स्टेज पर प्रार्थीगण की नेखमबन्दी को नही किये जाने का कोई विधिक आधार पत्रावली पर मौजूद नही है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:02:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 779/145 रकबा 28.00 बीघा, खसरा संख्या 790/145 रकबा 43.13 बीघा कुल रकबा 71.13 बीघा भूमि के

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 32/2020 अनवान चैनाराम बनाम नवलाराम**
	चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्त्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देष दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बाडमेर Signature Not Verified Digitally signed by Rohit Chauhan Date: 2021.03.01 12:02:45 IST Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/ 2829

दिनांक – 22-12-20

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चैनाराम पुत्र ताजाराम 2 सोनी पत्नी ताजाराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाडमेर।		1 नवलाराम पुत्र जेठाराम 2 पूनमाराम 3 रामाराम 4 खरथाराम पिसरान निम्बाराम 5 डूंगराराम 6 ठाकराराम 7 जगमालराम 8 कुम्भाराम 9 जयराम पिसरान गोमदाराम 10 वीरोंदेवी पत्नी गोमदाराम 11 हीराराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी 12 उगराराम पुत्र दीपाराम 13 हरजीराम 14 चुतराराम पिसरान समरथाराम 15 जेतीदेवी पत्नी चेतनराम 16 जोधाराम पुत्र आसूराम 17 लक्ष्मण 18 गीता 19 भावना 20 प्रमीला पिसरान चेतनराम विप्रार्थी संख्या 18 से 20 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता जेतीदेवी जाति जाट निवासी काऊ का खेड़ा तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 32/2020 दिनांक– 22.12.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 779/145 रकबा 28.00 बीघा, खसरा संख्या 790/145 रकबा 43.13 बीघा कुल रकबा 71.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2020/ 2830-2833 दिनांक– 22-12-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को [illegible] कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण क[illegible]
3. चैनाराम पुत्र ताजाराम वगैराह जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी नवलाराम पुत्र जेठाराम वगैराह जाति जा[illegible] निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, कवास तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:02:45 IST
Reason: SelfAttested